

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- श्री अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 122/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/191

प्राथी	बनाम	विप्राथी
राजस्थान सरकार तहसीलदार पचपदरा	जरिए	राज.सरकार

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपरिस्थिति-

1. प्राथी उपरिथत।
2. विप्राथी की ओर राज.पैरोकार।

आदेश

दिनांक 08.05.2025

यतः तहसीलदार पचपदरा ने ग्राम उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 591/170 भूमि में से प्रस्तावित रकबा वर्षों से मौके पर चलायमान रास्तों को भू अभिलेख में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व सरकार की अधिसूचना क्रमांक: राजस्व (गुप्र-6)/विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक-प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.5.2016 तथा परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-06/03 पार्ट जयपुर दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 की अनुपालना में अधोलिखित खसरा के खातेदार की सहमति के आधार पर निम्नानुसार आदेश दिए जाते हैं:-

ग्राम उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 591/170 में से संलग्न नक्शानुसार रास्ते में काम आ रही भूमि जो राजहित में समर्पण होने के आधार पर राजस्व(गुप्र-6)विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 4(1) में विहित प्रावधान के अनुसरण में सारणी के ख भाग के कॉलम संख्या (07) में अंकित रकबा की भूमि को सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता धोषित करते हुए तदनुसार भू-अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं:-




(Handwritten signature)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि (क)				नवीन रास्ते हुए दर्ज प्रविष्टि (ख)				वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	
1	01	591 / 170	0.1897	बा.अव्वल	591 / 170	0.1897	गै.मु.रास्ता	

तहसीलदार पंचपदरा को निर्देशित किया जाता है, कि तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर मय रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।


(अशाक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 08.5.2025 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
08/05/25